

93-97
1315

14214 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील
उपस्थित उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब
वारे पर है। अतः पत्रावली दि० 14-3-2015
को पेश हो।

रीडर

14214 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील
उपस्थित उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब
वारे पर है। अतः पत्रावली दि० 14-3-2015
को पेश हो।

रीडर

161214 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील
उपस्थित उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब
वारे पर है। अतः पत्रावली दि० 10-3-2015
को पेश हो।

रीडर

10-3-15 लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उप० हैं। अप्रार्थी
नं० 2, 5 के वकील जबाब पेश करने को समय
चाहते हैं। अग्रिम अवसर दिया जाता है। वास्तु
जबाब पत्रावली दि० 3-3-2015 को पेश हो।

3-3-15 वकील अप्रार्थी नं० 2, 5 उपस्थित हैं। लैण्ड होल्डर
के प्रतिनिधि उप० हैं। अप्रार्थी नं० 2, 5 के वकील
का कथन है कि बादग्रस्त भूमि धारा 90A के तहत
नगर परिषद् के नाम दर्ज हो चुकी है इसलिए
प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे। इस बिन्दु पर
वहस हो, पत्रावली दि० 14-3-2015 को पेश हो।

14-3-2017 पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई।
लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। वकील
प्रतिवादी सं० 5 उपस्थित हैं। वकील प्रतिवादी सं०
2 व 4 भी उपस्थित हैं। वकील प्रतिवादीगण का
कथन है कि वक० नं० 442/0-38 ग्राम गंगापूर धारा 90A
की कार्यवाही के बाद नगर परिषद् के नाम
दर्ज हो चुका है। इसलिए अब धारा 177 RTA की
कार्यवाही चलाए रखना औचित्यपूर्ण नहीं है।
लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि भी इससे सहमत हैं।
पत्रावली पर उपर्युक्त रेकार्ड के अनुसार भी
वक० नं० 442/0-38 ग्राम गंगापूर नगर परिषद् गंगापूर

(प्रतिवादी सं० 5)
अतिवादी सं० 2 व 4

तारीख
हुक्म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

के नाम दर्ज हो चुकी है। अतः इस प्रकरण में धारा
177 R.T. Act की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त
की जाती है। पत्रावली फ़ैसल नुमांर होकर नम्बर
से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जेड)

उय जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

जमाही कि मजरा
अप नुमांर है

अप नुमांर है
जमाही प्रती है

नकल जमाही प्रती है
जमाही प्रती है
जमाही प्रती है
जमाही प्रती है
जमाही प्रती है
जमाही प्रती है
जमाही प्रती है

जमाही प्रती है

जमाही प्रती है